| तारीख हुक्म | गोविन्दकरण बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, झंवर)<br>सू.अ.अपील संख्या 233/2022 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.08.22 | अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ निवासी 79, हनवन्त बी, सेक्टर–बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2022 में उसके द्वारा (1) ग्राम झंवर पटवार मंडल झंवर, तहसील लूणी के खसरा न. 1791, 1975, 1999, 1910, 854, 1856, 2000, 1793, 1973, 1763, 1803, 1789, 1802, 236, 1790, 1581, 1762, 1330, 1331, 1334, 1762, 1906, 1987 एवं 1998 की संवत 2012 से 2014 एवं संवत 2014 से 2017 की जमाबन्दीयां एव गिरदावरीयां (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, झंवर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |